एसी:03:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

[कार्यबिंदु:]

3.01.1 अध्यक्ष जी से चर्चा शुरू करने की इजाजत मांगी गई।

कार्यवृत:

3.01.1 प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति (अध्यक्ष) ने बैठक की अध्यक्षता की और सदन को कार्यवाही शुरू करने का कहा।

एसी:03:02	**मृत्यु सूचना**

कार्यबिंदु:

3.02.1 निम्नलिखित हस्तियों के देहावसान समाचार को गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सदन में सुनाया गया।

I. श्री ताशी टॉपदेन, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
II. श्री टी.डब्ल्यू बर्फुन्गपा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार
III. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार
IV. श्री मन बहादुर गुरुंग, प्रसिद्ध लेखक
V. श्री सोनम शेरपा, प्रसिद्ध कलाकार
VI. श्री चंदन सिंह रावत, प्रसिद्ध ओलंपियाड
VII. श्रीमती कमला सांकृत्यायन, पूर्व सदस्या, अल्पसंख्यक आयोग/लेखिका और स्व. श्री राहुल सांकृत्यायन की धर्मपत्नी

कार्यवृत:

3.02.1 सदन ने हाल ही में हुईं निम्नलिखित हस्तियों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

I. श्री ताशी टॉपदेन, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
II. श्री टी.डब्ल्यू बर्फुन्गपा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार
III. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार
IV. श्री मन बहादुर गुरुंग, प्रसिद्ध लेखक
V. श्री सोनम शेरपा, प्रसिद्ध कलाकार
VI. श्री चंदन सिंह रावत, प्रसिद्ध ओलंपियाड

VII. श्रीमती कमला सांकृत्यायन, पूर्व सदस्या, अल्पसंख्यक आयोग/लेखिका और स्व. श्री राहुल सांकृत्यायन की धर्मपत्नी

3.02.2 शैक्षणिक परिषद ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी गहरी संवेदना और शोक संतप्तता से अवगत कराया।

एसी:03:03	**कुलपति जी का अवलोकन**

[कार्यसूची:]

3.03.1 शैक्षणिक परिषद की पिछली बैठक से अब तक विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर कुलपति जी के अवलोकन का अनुरोध किया जाता है।

कार्यवृत:

3.03.1 शैक्षणिक परिषद की पिछली बैठक के बाद से अब तक हुई विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर कुलपति ने अपना अवलोकन प्रदर्शित किया। उन्होंने एक व्यापक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। **(अनुलग्नक एम1)**

एसी:03:04	**दिनांक- 22.05.2009 को शैक्षणिक परिषद की संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत का पुष्टिकरण**

[कार्यसूची:]

3.04.1 सभी सदस्यों को कार्यवृत दिनांक- 28.05.2009 के पत्र के माध्यम से परिचालित किया गया परंतु सदस्यों ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं प्रेषित की। तदनुसार, सदन से अनुरोध है कि दिनांक- 22.05.2009 को संपन्न बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की जाए।

कार्यवृत:

3.04.1 शैक्षणिक परिषद ने दिनांक- 22.05.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत पर विचारोपरांत उसकी **(अनुलग्नक एम2)** पुष्टि की।

एसी:03:05	**शैक्षणिक परिषद की दिनांक- 22.05.2009 को संपन्न बैठक पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट**

[कार्यसूची:]

3.05.1 दिनांक- 22.05.2009 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवृत

3.05.1 दिनांक- 22.05.2009 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट को परिषद द्वारा अनुलग्नक एम3 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई।

एसी:03:06	**मानसून सेमेस्टर 2009 में शिक्षार्थियों का नामांकन**

[कार्यसूची:]

3.06.1 मानसून सेमेस्टर 2009 के लिए छात्रों के प्रवेश की यथा स्थिति रिपोर्ट तालिकाबद्ध की गई थी।

कार्यवृत

3.06.1 मानसून सेमेस्टर 2009 के लिए छात्रों के प्रवेश की यथा स्थिति रिपोर्ट तालिकाबद्ध की गई, जिस पर सदन ने विचार किया।

3.06.2 सदन ने संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय को अंगीभूत महाविद्यालय खोलने के लिए यूजीसी को पत्र लिखने को कहा। परिषद ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और जैव-सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करे। परिषद ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सिक्किम विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम अंतर-विषयी हैं तथा यह भी सुझाव दिया कि एमएससी- भौतिक विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों में गणित और भौतिकी दोनों पृष्ठभूमि के छात्रों का प्रवेश दिया जाए। परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु फेलोशिप का गठन करे जिसके तहत एक हजार रुपये प्रति माह छात्रों को प्रदान किए जाएं।

एसी:03:07	**शून्य सेमेस्टर**

[कार्यसूची:]

3.07.1 शून्य सेमेस्टर के संबंध में परीक्षाओं की व्यवस्था, संचालन एवं अधीक्षण पर प्रथम अध्यादेश के खंड 05.13 के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं।

"सामान्य तौर पर एक शिक्षार्थी को अध्यादेश द्वारा निर्धारित सेमेस्टरों में अपनी डिग्री को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन विशेष/असाधारण परिस्थितियों में शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से उन्हें शून्य सेमेस्टर के लाभ की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि वह निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र सत्रांत परीक्षा के प्रारंभ होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले परीक्षा नियंत्रक को विधिवत आवेदन कॉलेज के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के माध्यम से संस्तुति सहित प्रस्तु करे। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर परीक्षा नियंत्रक उक्त आवेदन को अपनी सिफारिश के साथ कुलपति को उनके निर्णय हेतु भेजेगा। कुलपति ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और वे उसे या तो अस्वीकार कर सकते हैं या उसे शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ अग्रेषित कर सकते हैं। यदि शैक्षणिक परिषद को आवेदन भेजा जाता है, तो छात्र को अस्थायी रूप से अगले सत्र में जारी रखा जाएगा। यदि ऐसे आवेदनों को कुलपति या शैक्षणिक परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो छात्र को आगे के अध्ययन से रोक दिया जाएगा।

यदि शैक्षणिक परिषद शून्य सेमेस्टर की स्वीकृति प्रदान कर देती है तो अभ्यर्थी पूरे सेमेस्टर को दोबारा से पूरा करेगा और वह अपनी डिग्री निर्धारित सेमेस्टर से अधिक समेस्टर में पूरा कर सकेगा।

एक छात्र अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम में केवल एक बार शून्य सेमेस्टर के लिए पात्र होगा..... "

3.07.2 उपर्युक्त अनुसार दूसरे सेमेस्टर (स्प्रिंग 2009) के लिए शून्य सेमेस्टर का लाभ लेने हेतु विश्वविद्यालय को 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अनुलग्नक में वर्णित 7 मामलों को शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ संस्तुति सहित भेज दिया गया।

कार्यवृत

3.07.2 उपर्युक्त अनुसार दूसरे सेमेस्टर (स्प्रिंग 2009) के लिए शून्य सेमेस्टर का लाभ लेने हेतु विश्वविद्यालय को जो 12 आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कार्यसूची के अनुलग्नक एम4 में वर्णित 7 मामलों की स्वीकृति सदन द्वारा प्रदान कर दी गई।

एसी:03:08	***स्प्रिंग (जून 2009) का परीक्षा परिणाम***

[कार्यसूची:]

3.08.1 अधोवर्णित तालिका में स्प्रिंग 2009 के परीक्षा परिणाम की स्थिति वर्णित है और मानसून 2008 से उसका तुलनात्मक विवरण भी है।

पाठ्यक्रम	*परीक्षा में सम्मिलित*	*उत्तीर्ण*	*परिणाम रूका*	*उत्तीर्ण % (स्प्रिंग 2009)*	*उत्तीर्ण % (मानसून 2008)*	*सुधार*
बीए	*462*	*408*	*2*	*88.70*	*35.76*	*52.94*
बीए (प्रतिष्ठा)	*263*	*245*	*2*	*93.87*	*64.16*	*29.71*
बीए (पर्यटन)	*25*	*21*		*84.00*	*58.62*	*25.38*
बीएससी	*38*	*37*		*97.37*	*50.00*	*47.37*
बीएससी (प्रतिष्ठा)	*48*	*46*		*95.83*	*88.68*	*7.15*
बीकॉम	*93*	*73*		*78.49*	*38.24*	*40.26*
बीकॉम (प्रतिष्ठा)	*23*	*23*		*100.00*	*60.87*	*39.13*
बीएड	*195*	*195*		*100.00*	*100.00*	
बीफार्मा	*60*	*60*		*100.00*	*70.00*	*30.00*
एलएलबी	*54*	*49*		*90.74*	*40.74*	*50.00*
बीलिब-साइंस	*18*	*18*		*100.00*	*94.44*	*5.56*
एमए(औ.सं.)	*14*	*14*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एमए(समाजशास्त्र)	*15*	*14*	*1*	*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एम फार्मा (फार्माको-रसायन)	*9*	*9*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एम फार्मा (फार्मास्यूटिक)	*18*	*18*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एम फार्मा (फार्मा-कान्गनोसी)	*10*	*10*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एम फार्मा (फार्माकोलोजी)	*10*	*10*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
एमएड	*16*	*13*		*81.25*	*100.00*	*-19.75*
एमएससी(माइक्रो)	*9*	*9*		*100.00*	*100.00*	*लागू नहीं*
कुल	*1380*	*1272*	*5*	*92.51*	*54.66*	*37.85*

3.08.2 स्प्रिंग 2009 का परीक्षा परिणाम 28 जून, 2009 को अंतिम परीक्षा दिनांक के 18 दिन के अंदर प्रकाशित किया गया, जबकि निर्धारित समय 20 दिनों का था। इतना ही नहीं सितंबर, 2009 में कुलपति महोदय के साथ एक कोर टीम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ परिणाम पर चर्चा के लिए राज्य के सभी संबंद्ध कॉलेजों का दौरा किया।

<u>कार्यवृत</u>

3.08.1 शैक्षणिक परिषद ने स्प्रिंग (जून 2009) का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही शुरू की गई।

अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कुलपति के निर्देशन में सभी संबद्ध कॉलेजों में प्रश्नपत्र वार/विषय वार/कक्षा वार परीक्षा परिणाम की प्रस्तुति करना शामिल है। साथ ही उन पर छात्र एवं शिक्षक के साथ चर्चा भी शामिल है। परिषद ने पहले सेमेस्टर की अपेक्षा दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय सुधार एवं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों के परफार्मेंस में सुधार हेतु किए गए अनूठे पहल दोनों की भूरिभूरि प्रशंसा की और इसे अभिलेखित कर लिया गया। सदन ने निम्नलिखित के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की।

3.08.2 विश्वविद्यालय जल्द से जल्द क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत पर विचार करे, लेकिन ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसके प्रबंधक हेतु पर्याप्त संख्या में फैकल्टी उपलब्ध हों। इस संबंध में, यह बात उठाई गई कि इसमें कई विश्वविद्यालयों द्वारा समय-सारणी का समायोजन एक बड़ी समस्या है। विश्वविद्यालय को इस हेतु एक अध्ययन दल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि उन जहां पर भेजना चाहिए जहां क्रेडिट सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। विश्वविद्यालय कुछ नए छात्रों के लिए निदानात्मक उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरूआत करेगा ताकि विश्वविद्यालय में चल रहे अध्ययन विधि को वे समक्ष सकें। सदन ने कुलपति को प्रत्येक सेमेस्टर के मेधावी छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का सुझाव दिया, जिसके द्वारा पहले 5 शीर्षस्थ प्रत्येक छात्र/छात्राओं को 1000/- कुलपति के विवेकाधीन अनुदान से प्रदान किए जाएं।

एसी:03:09	**फैकल्टी की नियुक्ति**

[कार्य बिंदुः]

3.09.1 शैक्षणिक परिषद ने अपनी पिछली बैठक में 22.05.2009 को एजेंडा आइटम नंबर एसी: 02:16 में शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरूआत के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूजीसी द्वारा विभागों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृति को उनके नाम के सम्मुख दर्शाया गया है।

क्रम	***स्कूल का नाम***	***विभाग का नाम***	***स्वीकृत शैक्षणिक पद***			
			प्रोफेसर	*एसोशिएट प्रोफेसर*	*असिस्टेंट प्रोफेसर*	*कुल*
1	*स्कूल ऑफ फिजिकल ऐंड केमिकल साइंस*	*भौतिक विज्ञान विभाग*	*1*	*2*	*3*	*6*
2	*स्कूल ऑफ लॉ ऐंड गवर्नेंस*	*विधि एवं न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग*	*1*	*2*	*3*	*6*
3	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	मनोविज्ञान अध्ययन विभाग	*1*	*2*	*3*	*6*

4	*स्कूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐंड लाइवलिहुड मैनेजमेंट*	*पुष्प खेती एवं बागवानी प्रबंधन विभाग*	*1*	*2*	*3*	*6*
5	*स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज*	*स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज*	*लागू नहीं*			

3.09.2 उपर्युक्त पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जा सका क्योंकि विजिटर के नुमाइंदे अभीष्ट समय पर उपलब्ध नहीं रह सके। अत: निम्नलिखित फैकल्टी सदस्यों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया। सभी पदों हेतु अखिल भारतीय साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया गया था।

3.09.3 शैक्षणिक परिषद से संविदा आधार पर हुई निम्नलिखित नियुक्तियों को देख लेने का आग्रह है।

क्रम	***विभाग का नाम***	***फैकल्टी का नाम***	***नियुक्ति दिनांक***
1	*भौतिक विज्ञान विभाग*	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय	*31.07.2009*
		डॉ. हेमम दिनेश सिंह	*29.07.2009*
		डॉ. अजय त्रिपाठी	*11.09.2009*
		डॉ. अर्चना तिवारी	*11.09.2009*
2	*मनोविज्ञान अध्ययन विभाग*	डॉ. सत्यानंद के पांडा	*31.07.2009*
		डॉ. विजेंद्र पांडे	*03.08.2009*
		डॉ. सुनील कुमार वर्मा	*03.08.2009*
		श्रीमती रिंकी डी केशरवानी	*31.07.2009*
3	*विधि एवं न्यायशास्त विभाग*	डॉ. रंजीत सिल	*03.08.2009*
		डॉ. मीता पोद्दार	*20.07.2009*
4	*पुष्प खेती एवं बागवानी अध्ययन विभाग*	डॉ. मंजू राणा	*03.08.2009*
		डॉ. देबाशीस मंडल	*21.08.2009*
		डॉ. पल्लवी एस कुलकर्णी	*03.08.2009*
		डॉ. दीप्ति सिंह	*15.09.2009*

<u>कार्यवृत:</u>

3.09.1 2009-10 में नए बनाए गए विभागों में संवदिा आधार पर फैकल्टी सदस्यों की हुई नियुक्तियों के शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन को सदन ने नोट किया। सदन को यह भी ज्ञात हुआ कि यूजीसी ने प्रत्येक विभाग के लिए छह शैक्षाणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की है जबकि सामान्यतौर पर अन्य विश्वविद्यलयों में इस हेत् 7 पदों की स्वीकृति दी जाती है।

परिषद ने यह सुझाव दिया कि मामले को यूजीसी के संज्ञान में लाया जाए और प्रत्येक विभाग में 7 फैकल्टी सदस्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाए।

एसी:03:10	**पाठ्यक्रम**

[कार्य बिंदुः]

[3.10.1 संबद्ध कॉलेज (हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट) में चल रहे एम फार्मा कोर्स के पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए कॉलेज को इस बात के लिए परिषद द्वारा अधिकृत किया गया कि वह नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को ही अपनाए।

3.10.2 चूंकि करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी (सीडीसी) के नामी फैकल्टी द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय ने एम फार्मा का प्रारूप पाठ्यक्रम तैयार करवाया है अत: एम फार्मा के प्रारूप पाठ्यक्रम और सीडीसी सदस्य के पाठ्यक्रम को पटल पर रखा गया। एम फार्मा के प्रारूप पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शाखाओं को समाहित किया गया है।

क्रम	***विशेषज्ञता शाखा***
1.	*फार्मास्यूटिक्स*
2.	*फार्मास्यूटिकल रसायन*
3.	*फार्माकोग्नोसी*
4.	*फार्मेकोलोजी*
5.	*फार्मास्युटिकल विश्लेषण और गुणवत्ता आश्वासन*
6.	*फार्मेसी अभ्यास*
7.	*फार्मास्युटिकल प्रबंधन*
8.	*औषध विकास और नैदानिक अनुसंधान*
9.	*औषधि जैव प्रौद्योगिकी*

3.10.3 परिषद से यह अनुरोध किया गया था कि उक्त पर विचार कर अनुमोदित किया जाए ताकि 2010-11 में एम फार्मा में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम लागू किया जा सके।

<u>कार्यवृत:</u>

3.10.1 सदन ने शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से एम फार्मा के पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर दिया।

3.10.2 परिषद ने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने पर विचार करे और इसके लिए एक डॉक्टरल कमिटी भी बनाई जाए। इसके अलावा कुलपति को यह भी सुझाव दिया गया कि उपर्युक्त विशेषज्ञता की नौ शाखाओं के अलावा पौधा आधारित फार्माकोलोजी विषय की भी शामिल किया जाए।

एसी:03:11	**2010-11 के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम**

[कार्य बिंदुः]

[3.11.1 पिछले दो शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है।

शैक्षणिक वर्ष 2008-09

क्रम सं.	***स्कूल का नाम जिसके अंतर्गत विभाग आता है***	***विभाग का नाम***	***स्तर***	***पाठ्यक्रम का नाम***	***शिक्षार्थियों की प्रस्तावित सं.***
1	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	*सोशल सिस्टम एवं मानव विज्ञान विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमए*	*40*
2	*स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज*	*अंतरराष्ट्रीय संबंध/ राजनीति विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमए*	*40*
3	*स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट, ऐंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज*	*शांति, संघर्ष और प्रबंध अध्ययन विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमए*	*40*
4	*स्कूल ऑफ लाइफ साइंस*	*माइक्रोबायलोली विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमएससी*	*40*

शैक्षणिक वर्ष 2009-10

क्रम सं.	***स्कूल का नाम जिसके अंतर्गत विभाग आता है***	***विभाग का नाम***	***स्तर***	***पाठ्यक्रम का नाम***	***शिक्षार्थियों की प्रस्तावित सं.***
5	*स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंस*	*भौतिक विज्ञान विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमए*	*40*
6	*स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस*	*विधि एवं विधिशास्त्र विभाग*	*एकीकृत पाठ्यक्रम*	*एलएलएम*	*40*

क्रम सं.	*स्कूल का नाम जिसके अंतर्गत विभाग आता है*	*विभाग का नाम*	*स्तर*	*पाठ्यक्रम का नाम*	*शिक्षार्थियों की प्रस्तावित सं.*
7	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	*मनोविज्ञान अध्ययन विभाग*	*एकीकृत पाठ्यक्रम*	*बीएससी एमएससी*	*40*
8	*स्कूल ऑफ सस्टेनबल डेवलपमेंट ऐंड मैनेजमेंट*	*पुष्प खेती एवं बागवानी प्रबंधन विभाग*	*एकीकृत पाठ्यक्रम*	*बीएससी एमएससी*	*40*
9	*स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज*	*स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज*	*शोध*	*-*	*लागू नहीं*

3.11.2 शैक्षणिक वर्ष 2010-11 हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों के शुरू किए जाने को प्रस्तावित किया गया।

क्रम सं.	*स्कूल का नाम जिसके अंतर्गत विभाग आता है*	*विभाग का नाम*	*स्तर*	*पाठ्यक्रम का नाम*	*शिक्षार्थियों की प्रस्तावित सं.*
1	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	*भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमएससी*	*40*
2	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	*अर्थशास्त्र अध्ययन एवं योजना विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमएससी*	*40*
3	*स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंस*	*रसायन विज्ञान विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमएससी*	*40*
4	*स्कूल ऑफ मीडिया, संचार एवं सूचना विज्ञान*	*पत्रकारिता विभाग*	*स्नातकोत्तर एवं शोध*	*एमए*	*40*
5	*स्कूल ऑफ मेडिसिन*	*फार्मेसी अध्ययन विभाग*	*एकीकृत पाठ्यक्रम*	*बीफार्मा/एम फार्मा*	*30*
6	*स्कूल ऑफ सोशल साइंस*	*सोशल सिस्टम एवं मानव विज्ञान विभाग*	*शोध*	*एमफिल/ पीएचडी*	
7	*स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज*	*अंतरराष्ट्रीय संबंध/ राजनीति विभाग*	*शोध*	*एमफिल/ पीएचडी*	

क्रम सं.	***स्कूल का नाम जिसके अंतर्गत विभाग आता है***	***विभाग का नाम***	***स्तर***	***पाठ्यक्रम का नाम***	***शिक्षार्थियों की प्रस्तावित सं.***
8	*स्कूल ऑफ पीस, कनफ्लिक्ट, ऐंड ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज*	*शांति, संघर्ष और प्रबंध अध्ययन विभाग*	*शोध*	*एमफिल/ पीएचडी*	
9	*स्कूल ऑफ लाइफ साइंस*	*माइक्रोबायलोली विभाग*	*शोध*	*एमफिल/ पीएचडी*	

3.11.3 शैक्षणिक परिषद से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करें और इसे स्वीकारोपरांत कार्यकारी परिषद से अनुमोदन हेतु सिफारिश करें।

<u>कार्यवृत:</u>

3.11.1 उपर्युक्त अनुसार सदन को यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में भौतिक और रासायनिक विज्ञान स्कूल के तहत भौतिक विज्ञान विभाग चला रहा है। परिषद ने कुलपति से इस विभाग का नाम भौतिकी विभाग रखने का निर्देश दिया। इसी तरह मीडिया, संचार एवं सूचना विज्ञान स्कूल से नए एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाए और विभाग का नाम पत्रकारिता विभाग से बदलकर पत्रकारिता और जनसंचार विभाग किया जाए तथा पाठ्सक्रम के विषय वस्तु को भी उसी तरह तैयार किया जा सकता है।

3.11.2 परिषद ने शिक्षा का एक अलग स्कूल शुरू करने का भी सुझाव दिया और इसके लिए प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने को कहा। इसके अलावा सदन ने अलग से विश्वविद्यालय को नेतृत्व विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र के इतिहास पर अध्ययन केंद्र (विभाग) खोलने का भी कहा। डॉ. करूणाकरन का यह सुझाव था कि विश्वविद्यालय लोक *भारती* योजनाओं के कामकाज का अध्ययन करने और पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में उसके सिद्धांतों को अपनाने के लिए महाराष्ट्र (सौराष्ट्र क्षेत्र) के लिए एक टीम को प्रतिनियुक्त करे।

3.11.4 उपरोक्त सुझावों के साथ सदन ने नये कार्यक्रमों को मंजूरी दी और अंतिम स्वीकृति हेतु कार्यकारी परिषद को पृष्ठांकित किया।

एसी:03:12	फार्मेसी कॉलेज में पार्श्व प्रवेश

<u>[कार्य बिंदु:]</u>

हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में से एक है। कॉलेज को अकादमिक *वर्ष 2009-10 के लिए बी. फार्मा एवं एम फार्मा कोर्स चलाने के लिए अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई थी*

बी.फॉर्म कोर्स के लिए छात्रों की स्वीकृत संख्या 60 था। कॉलेज ने जुलाई 2009 में डिप्लोमा होल्डर के लिए पार्श्व प्रवेश योजना के अंतर्गत स्वीकृत क्षमता से 10% अधिक छात्रों के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था। इस पर कॉलेज को यह *स्पष्ट कर दिया गया कि विद्यार्थियों को पार्श्व प्रवेश देने का प्रश्न तब उठेगा जब बी. फार्मा कोर्स में कोई रिक्त सीट बचती है। चूंकि कॉलेज में सभी सीटें पहले ही भर चुकी थीं और वर्ष 2009-10 के बी. फार्मा के द्वितीय वर्ष के लिए पार्श्व प्रवेश योजना के तहत स्वीकृत क्षमता से अधिक के मामल में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं पाया गया। कॉलेज को यह बताया गया कि इस मामले में आगे के दिशा निर्देशों के लिए अकादमिक परिषद को सूचित किया जा रहा है।*

3.12.2 तदनुसार, यह मामला शैक्षणिक परिषद से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देशों के लिए रखा गया था। चूंकि कॉलेज ने मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन किया है और छात्रों को स्वीकृत संख्या से अधिक होने पर भी प्रवेश दिया है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रभावित छात्रों को सीधे विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जा सकता है कि उनका नामांकन प्रावधान के अनुकूल नहीं है इसलिए विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकता है।

<u>कार्यवृत:</u>

3.12.1 सदन ने अपने समक्ष रखे मुद्दे पर गौर किया और भविष्य में इसकी जटिलताओं पर भी विचार किया। गहन चर्चा के बाद सदन ने कुलपति को कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया और कार्यकारी परिषद को सदन के विचार से अवगत कराने को भी कहा।

एसी:03:13	सुधार पेपर अध्यादेश

[कार्यबिंदु:

[3.13.1 सुधार पेपर प्रस्ताव के लिए शैक्षणिक परषिद ने अपनी पिछली बैठक 22.05.2009 के कार्यबिंदु की मद सं. एसी:02:20 पर सुधार पेपर के प्रचलन व उपर्युक्त पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए प्रथम अध्यादेश पर विचार किया। उपर्युक्त प्रथम अध्यादेश के अनुसार सुधार पेपर हेतु निम्नलिखित प्रावधन हैं।

05.16 सुधार पेपर

(1) *यदि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक सेमेस्टर में एक पेपर में फेल होता है तो वह सुधार हेतु आवेदन करने का पात्र होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।*

बशर्ते कि वह सुधार पेपर ठीक अगले सेमेस्टर में पास कर जाता है यदि विषम सेमेस्टर में सुधार पेपर है तो विषम सेमेस्टर में और यदि सम सेमेस्टर में है तो सम सेमेस्टर में।

(2) *किसी भी अभ्यर्थी को एक बार से अधिक सुधार पेपर की परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित सेमेस्टर में सुधार पेपर को पास नहीं कर पाता है तो वह वह कोर्स जारी नहीं रख सकता है चाहे वह अगला सेमेस्टर पास ही क्यों नहीं कर गया हो।*

बशर्ते कि कोई अभ्यर्थी पूरे कोर्स के दौरान सिर्फ दो बार सुधार पेपर देने का पात्र हो सकता है।

(3) *यदि एक अभ्यर्थी अगले सेमेस्टर में सुधार पेपर देने हेतु प्रोन्नत किया जात है तो उसे उस पेपर के लिए कक्षाएं करने की जरूरत नहीं है। उपस्थिति के पात्र अंक अग्रेनित कर दिए जाएंगे। हालांकि, उसे टर्म पेपर/प्रायोगिक, मिड-सेमेस्टर और सत्रांत परीक्षाओं में कॉलेज/विभाग के नए विद्यार्थियों के साथ सुधार वाले पेपर में भाग लेना होगा। पूर्व के टर्म पेपर/प्रायोगिक, मिड-सेमेस्टर और सत्रांत परीक्षाओं में प्राप्त अंक निरस्त माने जाएंगे।*

(4) *यदि कोई छात्र/छात्रा सुधार पेपर की शर्त पर प्रोन्नत किया जाता है तो उसे अलग से परीक्षा फार्म भर कर अपने प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के पास विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि के अंदर प्रस्तुत करना होगा।*

यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फार्म नहीं भरता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वह सुधार पेपर की परीक्षा में शामिल होने एवं आगे की नियमित परीक्षाओं में शामिल होने का इच्छुक नहीं है।

3.13.2 निम्नलिखित परिस्थितियों में यह अध्यादेश एक छात्र के सुधार पेपर हेतु पात्रता पर गौण है।

चरण-1 –यदि अभ्यर्थी प्रथम दृष्टया फेल कर जाता है (एक या अधिक विषय/कुल प्राप्तांक)

चरण-2 –यदि अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करता है।

चरण-3- पुनर्मूल्यांकन में भी एक विषय में फेल रहता है लेकिन कुल प्राप्तांक वैसा ही रहता है।

3.13.3 प्रावधानों को और स्पष्ट करने हेतु इस अध्यादेश के उप-खंड (4) में निम्नलिखित व्याख्यात्म पद शामिल किए जाते हैं।

व्याख्यात्मक नोट 1:

यदि पुनर्मूल्यांकन में छात्र या छात्रा केवल एक पेपर में फेल रह जाता/ जाती है तो उसे फेल पेपर को सुधार पेपर के रूप में देने की शर्त सहित अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति का पात्र होगा/होगी बशर्ते कि उसने कुल अभीष्ट प्राप्तांक प्राप्त किए हों।

3.13.4 साथ ही खंड 05.16 के उपखंड (1) के अनुसार यह अध्यादेश "फेल" का सीमित अर्थ ध्वनित करता है। यथा, यदि एक छात्र एक विषय में फेल करता है कुल आवश्यक अंक प्राप्त करता है परंतु दूसरा विषय में फेल करता है और कुल आवश्यक अंक भी नहीं लाता है तो दोनों ही अर्थों में उन्हें फेल ही माना जाएगा। सुधार पेपर का विकल्प केवल उसे मिलेगा जो एक विषय में फेल होगा लेकिन कुल आवश्यक प्राप्तांक प्राप्त करेगा। इसलिए अध्यादेश को और स्पष्ट करने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि जैसा कि यहां वर्णित है खंड 05.16 में एक और व्याख्यात्मक नोट शामिल किया जाए।

व्याख्यात्मक नोट 2:

एक विषय में फेल का मतलब एक विषय में फेल लेकिन आवश्यक प्राप्तांक का प्राप्त होना होगा।

3.13.5 शैक्षणिक परिषद से यह अनुरोध है कि उक्त पर विचार कर प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित करे।

कार्यवृत:

3.13.1 सदन अध्यादेश के खंड 05.16- सुधार पेपर में दो व्याख्यात्मक नोट के शामिल किए जाने का अनुमोदन करता है।

3.13.2 सदन यह भी सिफारिश करता है कि उक्त दो संशोधनों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखा जाए।

एसी:03:14	**विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता पर अध्यादेश**

[कार्यबिंदु:]

[3.14.1 सिक्किम विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर परंतु अच्छी शैक्षणिक रिकार्ड वाले विद्यार्थियों के वित्तीय सहायतार्थ एक कमिटी का गठन किया जो इस हेतु अध्यादेश बनाएगी। तदनुसार कमिटी ने विद्यार्थियों के लिए मेधा सह आय वित्तीय सहायतार्थ एक अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया। कुलपति ने औपबंधिक रूप से अध्यादेश को मंजूरी दे दिया। उसे शैक्षणिक परिषद के पास अनुमोदन हेतु लाया गया।

तदनुसार, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप अनुग्नक में वर्णित निम्नलिखित छात्र/छात्राओं ने वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया।

3.14.2 शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के उपरांत उसे वित्तीय कमिटी / कार्यकारी परिषद के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

कार्यवृत:

3.14.1 सदन ने विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता पर बने अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया (अनुलग्नक एम5) और उसे वित्तीय समिति एवं कार्यकारी परिषद को अंतिम अनुमोदन हेतु पृष्ठांकित कर दिया

3.14.2 कुलपति द्वारा संस्तुत नामों को भी सदन ने अनुमोदित किया और उसे कार्यकारी परिषद को पृष्ठांकित किया।

एसी:03:15	शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए संविधि प्रारूप

[कार्यबिंदुः]

3.15.1 शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से शैक्षणिक पदों हेतु भर्ती नियमों का प्रारूप सदन के पटल पर रखा गया।]

3.15.1 सदन ने शैक्षणिक पदों पर भर्ती से संबंधित संविधि के प्रारूप पर विचार किया (अनुलग्नक एम6) और कई बिंदुओं को उठाया गया जिस पर सचिव द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। सदन ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संविधि का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम और समय-समय पर यूजीसी द्वारा दिए गए आदेशों की तर्ज पर है। सदन के संज्ञान में यह बात भी आई कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के साथ संलग्न विश्वविद्यालय की प्राथमिक संविधि के खंड 18 के अनुसार रीडर/लेक्चरर पद पर भर्ती हेतु चयन समिति में एक प्रोफेसर को कुलपति द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान है। सदन ने यह सुझाव दिया कि ऐसे नामित प्रोफेसर विश्वविद्यालय के रोल्स से लिए जाएं या बाहर से जैसा कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाए।

3.15.2 पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती के मामले में सदन का यह विचार है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं में आईसीटी पृष्ठभूमि वाले को शामिल किया जाए।

3.15.3 इन सुझावों के साथ सदन ने संविधि को कार्यकारी परिषद को अनुमोदन हेतु पृष्ठांकित कर दिया।

एसी:03:16	विजिटिंग फेलो/फैकल्टी पर संविधि का प्रारूप

[कार्यबिंदुः]

[3.16.1 शैक्षणिक परिषद के अनुमोदनार्थ विजिटिंग फेला/फैकल्टी के प्रारूप अध्यादेश को पटल पर रखा गया।

3.16.1 एडजंक्ट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर आदि **(अनुलग्नक एम7)** की नियुक्ति हेतु प्रारूप संविधि को सदन ने विस्तारपूर्वक विचार किया। उनके पारिश्रमिक को लोचदार रखने के लिए सदन ने यह सिफारिश की कि इसको समय-समय पर वेतन आयोग की पेश होने वाली अनुशंसाओं एवं सामान्य वित्तीय नियमों आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सदन का यह भी सुझाव था कि एडजंक्ट/विजिटिंग प्रोफेसर के मामले में संविधि में कोई ऊपरी आयुसीमा नहीं होनी चाहिए।

3.16.2 उपरोक्त सुझावों के साथ सदन ने संविधि को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन पृष्ठांकित किया।

एसी:03:17	**स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज- प्रोग्राम**

[कार्य बिंदुः]

[3.17.1 शैक्षणिक परिषद ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से नीति नियोजन और अध्ययन- कार्यक्रमों के स्कूल को चलाने की मंजूरी दी। ये स्कूल इस विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं कि शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक बड़ा हिस्सा नीति अनुसंधान को समर्पित होगा जिससे राष्ट्रीय हित के मुद्दों सहित क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक होगा जिनमें सार्वजनिक मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा, आजीविका और मूल लोकजन, सीमापार आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं।

3.17.2 योजना आयोग ने सिक्किम एवं मिजोरम के लिए 11वें पंचवर्षीय से संबंधित कार्य मध्यावधि मूल्यांकन पर एक अध्ययन हेतु कुल खर्च 17 लाख रुपये में '"योजना की 50वीं वर्षीय पहल" के तहत पूरे करने को सौंपा और यह अध्ययन स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऐंड स्टडीज द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसे एक महीने में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।.

3.17.3 *यह मामला शैक्षणिक परिषद के संज्ञान में लाया गया।*

<u>कार्यवृत:</u>

3.17.1 सदन ने नीति नियोजन और अध्ययन स्कूल की यथा स्थिति रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लिया।

एसी:03:18	**निरीक्षण समिति का गठन**

[कार्यबिंदुः]

[3.18.1 शैक्षणिक परिषद ने अपनी *22.05.2009 को आयोजित पिछली बैठक में संविधि के खंड 31(1)(III) के अनुसार निरीक्षण समिति के गठन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी और जिसे कार्यकारी परिषद ने भी अपनी 05.06.2009 की बैठक में स्वीकृति दे दी। विश्वविद्यालय ने तदनुसार निरीक्षण समिति का गठन किया।*

3.18.2 दिनांक- 30.09.2009 तक विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित अकादमिक कोर्स के अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुएः

प्रस्ताव दाता	प्रस्ताव	प्राप्ति दिनांक
रेनॉक एजुकेशनल सोसायटी, फाइव वेज, देवराली, तदोंग, सिक्किम- 737102	हिमायन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नॉलाजी को संबद्धता	*23.01.2009*
हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, माजितर, सिक्किम पूर्व-737136	हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट में एम.फार्मा कोर्स की शुरुआत	*27.12.2008*
तदैव	हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऐंड क्वालिटी एस्योरेंस में एम.फार्मा कोर्स की शुरुआत	*27.12.2008*
पेकिम पैलेटाइन कॉलेज	निम्न में स्नातक कोर्स की शुरुआत क) माइक्रोबायलोजी(सामान्य) ख) वाणिज्य(सामान्य/प्रतिष्ठा) ग) पैथलोजी(सामान्य)	*02.04.2009*
रेनॉक गवर्नमेंट कॉलेज	निम्न में स्नातक(प्रतिष्ठा) कोर्स की शुरुआत क) राजनीति विज्ञान ख) भूगोल	*22.04.2009*

	ग) नेपाली घ) सामाजिक विज्ञान	
	निम्न में वैकल्पिक विषयों की शुरुआत ड.) अंग्रेजी च) मनोविज्ञान छ) गणित ज) सांख्यिकी	*28.08.09*
दामबर सिंह कॉलेज	राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा एवं अंग्रेजी में प्रतिष्ठा कोर्स की शुरुआत	*02.04.2009*
नामची गवर्नमेंट कॉलेज एवं द्वारा एचआरडीडी विभाग	वाणिज्य शाखा(गणित एवं सांख्यिकी के लिए भी)	*29.06.2009*
गवर्नमेंट कॉलेज रेनॉक द्वारा एचआरडीडी विभाग	भूगोल, सामाजिक विज्ञान में प्रतिष्ठा एवं वैकल्पिक अंग्रेजी	*29.06.2009*
	अर्थशास्त्र एवं शिक्षा में प्रतिष्ठा कार्यक्रम	*24.08.09*
सिक्किम सरकार	सोरंग, पश्चिम सिक्किम में बी.एड कॉलेज की स्थापना	*13.07.2009*
सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज	एलएलएम कोर्स की शुरुआत	*31.08.2009*
पेकिम पैलेटाइन कॉलेज	वाणिज्य(सामान्य) में स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत	*12.10.2009*

3.18.3 उपर्युक्त अनुरोध को कॉलेज/इंस्टीट्यूशन वार निम्नानुसार तालिका में सारांशित किया जा सकता है

क्रम सं.	कॉलेज/इंस्टीट्यूशन का नाम	पाठ्यक्रम/शाखा जिसके लिए अनुरोध किया गया
1	सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज	एलएलएम
2	पेकिम पैलेटाइन कॉलेज	निम्न में स्नातक कोर्स की शुरुआत क) माइक्रोबायलोजी(सामान्य) ख) वाणिज्य(सामान्य/प्रतिष्ठा) ग) पैथलोजी(सामान्य)
3	गवर्नमेंट कॉलेज, रेनॉक	1. भूगोल(प्रतिष्ठा) 2. सामाजिक विज्ञान(प्रतिष्ठा) 3. राजनीतिक विज्ञान(प्रतिष्ठा) 4. नेपाली(प्रतिष्ठा) 5. अर्थशास्त्र(प्रतिष्ठा) 6. शिक्षा(प्रतिष्ठा) 7. वैकल्पिक अंग्रेजी(वैकल्पिक)

		8. मनोविज्ञान (वैकल्पिक) *9. गणित (वैकल्पिक)* *10. सांख्यिकी (वैकल्पिक)*
4	दामबर सिंह कॉलेज	1. राजनीति विज्ञान(प्रतिष्ठा) 2. समाज विज्ञान(प्रतिष्ठा) 3. शिक्षा(प्रतिष्ठा) 4. अंग्रेजी(प्रतिष्ठा)
5	हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट	1. फार्मेसी प्रैक्टिस में एम. फार्मा कोर्स 2. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऐंड क्वालिटी एस्योरेंस में एम.फार्मा कोर्स
6	रेनॉक गवर्नमेंट कॉलेज	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नॉलोजी को सम्बद्धता
7	गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम(बीएड कॉलेज)	सोरंग, पश्चिम सिक्किम में बी.एड कॉलेज की स्थापना

3.18.4 निरीक्षण कमिटी चरणबद्ध रूप से इन कॉलेजों का निरीक्षण करेगी। उपर्युक्त विवरण शैक्षणिक परिषद को उनके ध्यानार्थ एवं अग्रेतर निर्देश हेतु भेजा गया।

कार्यवृत:

3.18.1 सदन को यह ज्ञात हुआ कि सम्बद्ध कॉलेजों से विश्वविद्यालय को नए कोर्स शुरू करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए। सदन ने यह सलाह दी कि निरीक्षण कमिटी गुणों के आधार पर सभी मामलों को देखे और अगली बैठक से पहले निष्कर्षों को विचारार्थ रखे।

एसी:03:19	**एंटी रैगिंग कमिटी पर रिपोर्ट**

[कार्यबिंदु:]

[3.19.1 एंटी रैगिंग कमिटी की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद के अनुमोदनार्थ सदन में रखी गई।

कार्यवृत:

3.19.1 सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत एंटी रैगिंग कमिटी की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

एसी:03:20	**अध्यादेश का पुनर्प्रारूपण**

[कार्यबिंदु:]

3.20.1 शैक्षणिक परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनांक- 22.5.2009 में निम्नलिखित अध्यादेशों के पुनर्प्रारूपण इच्छा व्यक्त की।

क्रम सं.	**अध्यादेश का नाम**
1	*शैक्षणिक कर्मियों और कॉलेजों या संस्थानों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में आते हैं और जिसे सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है।*
2	*विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत कॉलेजों एवं संस्थानों के लिए अन्य शर्तों संबंधी अध्यादेश*
3	*पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश प्रक्रिया के लिए अध्यादेश*
4	*स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के लिए अध्यादेश*

3.20.2 मानव संसाधन की कमी की वजह से उपर्युक्त अध्यादेशों का पुनर्प्रारूपण संभव नहीं हो सका। शैक्षणिक परिषद से यह अनुरोध किया जाता है कि अंतरिम उपाय के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के अनुसार उपयुक्त निर्णय के लिए कुलपति को अनुमति प्रदान करे और उसकी पुष्टि हेतु परिषद से प्रतिवेदित करे।

3.20.3 शैक्षणिक परिषद से इसके अनुमोदन की अपेक्षा की गई।

<u>कार्यवृत:</u>

3.20.1 सदन ने कुलपति को यह प्राधिकृत किया किया कि *अंतरिम उपाय के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के अनुसार कुलपति उपर्युक्त अध्यादेशों के पुनर्प्रारूपण हेतु उचित निर्णय लें और उसकी पुष्टि हेतु परिषद से प्रतिवेदित करे।*

एसी:03:21	**दूसरे देशों के अपंजीकृत छात्रों से संबंधित विनियम**

[कार्यबिंदु:]

[3.21.1 दूसरे देशों के अपंजीकृत छात्रों से संबंधित विनियम को शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन हेतु सदन के समक्ष रखा गया।

<u>कार्यवृत:</u>

3.21.1 सदन ने उक्त विषय पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी और अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद को पृष्ठांकित किया। हालांकि सदन ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ इस संबंध में एमओयू करना चाहिए ताकि ऐसे आदान-प्रदान में सुविधा हो। इसी तरह विश्वविद्यालय किसी विदेशी छात्र के पंजीकरण की अनुमति देने से पहले आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करे। विश्वविद्यालय विदेशी छात्र सेल का गठन करे और उनके मसलों को दूर करे। विश्वविद्यालय मार्गदर्शन हेतु भारतीय विश्वविद्यालय संघ से विदेशी छात्र पुस्तिका की प्रतियां भी अपने पास रखे।

एसी:03:22	दूसरे देशों के अपंजीकृत छात्रों से संबंधित विनियम

[कार्यबिंदुः]

[3.22.1 दूसरे देशों के पंजीकृत छात्रों से संबंधित विनियम शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन हेतु सदन के समक्ष रखा गया।

कार्यवृत:

3.22.1 सदन ने उक्त अध्यादेश को अनुमोदित करते हुए कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु पृष्ठांकित किया।

एसी:03:23	पुस्तकालय पर रिपोर्ट

[कार्यबिंदुः]

[3.23.1 शैक्षणिक परिषद के ध्यानार्थ पुस्तकालय पर एक रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी गई।

कार्यवृत:

3.23.1 सदन ने उस पर विचार करते हुए पुस्तकालय की विस्तृत रिपोर्ट की सराहना की।

एसी:03:24	लिंग संवेदीकरण कमिटी की रिपोर्ट

[कार्यबिंदुः]

[3.24.1 शैक्षणिक परिषद के ध्यानार्थ लिंग संवेदीकरण पर एक रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी गई।

कार्यवृत:

3.24.1 सदन ने उस पर विचार करते हुए उक्त रिपोर्ट की सराहना की।

एसी:03:25	कॉलेजों की वार्षिक संबद्धता प्रभार के संबंध में अध्यादेश

[कार्यबिंदुः]

[3.25.1 शैक्षणिक परिषद के अनुमोदनार्थ कालेजों की वार्षिक संबद्धता फीस संबंधी अध्यादेश सदन के समक्ष रखी गई।

कार्यवृत:

3.25.1 सदन ने अपने समक्ष रखे अध्यादेश पर विचार किया और सुझाव दिया कि 5 सदस्यीय कमिटी के बजाय इसे 3 सदस्यीय कमिटी बनाई जाए।
निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर कमिटी बनाई जाए-

1. शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित अध्यक्ष
2. वित्त अधिकारी
3. कुलपति द्वारा नामित एक प्रतिनिधि

3.25.2 उक्त संशोधनों के साथ सदन ने अध्यादेश को अनुमोदित करते हुए अंतिम अनुमोदन हेतु कार्यकारी परिषद को पृष्ठांकित किया।

एसी:03:26	**संबंद्ध कॉलेजों में परा स्नातक कार्यक्रम**

[कार्यबिंदुः]

[3.26.1 निम्नलिखित सारिणी में विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे कोर्सों की जानकारी दी गई है।

क्रम सं.	**कॉलेज**	**हित धारक (स्टेक हॉल्डर)**	**संचालित कोर्स**
1	*सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज*	सरकार	*बीए, बीएससी और बी.कॉम (प्रतिष्ठा और सामान्य)*
2	*नामची गवर्नमेंट कॉलेज*	सरकार	*बीए (प्रतिष्ठा और सामान्य)*
3	*रेनॉक गवर्नमेंट कॉलेज*	सरकार	*बीए (सामान्य)*
4	*हरकामया कॉलेज ऑफ एजुकेशन*	निजी	*बी.एड और एमएड*
5	*डाम्बर सिंह कॉलेज*	निजी	*बीए (प्रतिष्ठा और सामान्य), बीएलआईएससी*
6	*हिमालयन फार्मेसी संस्थान*	निजी	*बी फार्मा और एम फार्म*
7	*सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज*	सरकार	बीए एलएलबी
8	पाकिम पैलेटाइन कॉलेज	निजी	*बीए, बीएससी (प्रतिष्ठा और सामान्य)*
9	लॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन	निजी	बीएड

3.26.2 इन कॉलेजों में से सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ने स्नातकोत्तर कोर्स (एलएलएम) और हिमालयन फार्मेसी संस्थान ने वर्ष 200-11 से एम फार्मा से संबंधित अन्य कोर्सों की शुरूआत के लिए आवेदन किया, जो निरीक्षण कमिटी को आगे की कार्रवाई हेतु संदर्भित कर दिया गया।

3.26.3 शैक्षणिक परिषद को यह ज्ञात हुआ कि इन सभी कॉलेजों में दक्ष फैकल्टी और आधारभूत संरचना की कमी है। पिछले दो सेमेस्टर के अनुभव से यह भी पता चलता है कि सामान्य कोर्सों का भी संचालन ठीक से नही हो रहा है, खासकर सरकारी कॉलेजों में। ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों में स्नातकोत्तर कोर्स को चलाने की अनुमति देना मतलब राज्य के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जब तक ये फैकल्टी एवं आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक इनको इन कोर्सों को चलाने की मान्यता देने का श्रम करना बेकार होगा।

3.26.4 इसलिए विश्वविद्यालय इस निकाय से अनुरोध करता है कि इन कठिनाइयों को देखते हुए सिद्धांत रूप से विश्वविद्यालय का यह फैसला है कि अगले दो साल तक संबद्ध कॉलेजों के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेगा। यदि किसी कॉलेज को लगता है कि वह ऐसी दक्षता रखता है तो सिक्किम विश्वविद्यालय डेप्यूटेशन या अन्य विधियों से स्नातकोत्तर विभागों में ऐसे कोर्स संचालन में मदद करेगा।

3.26.5 परिषद ने इस पर विचार करने और अनुमोदन निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया।

<u>कार्यवृत:</u>

3.26.1 सदन ने अपने समक्ष रखे कार्यबिंदु पर विचार किया और बताया कि जैसा कि सदन प्रस्ताव की सराहना करता है, लेकिन वर्तमान में इन कॉलेजों में मौजूद मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना को देखते हुए स्नातकोत्तर कोर्स के संचालन के पक्ष में नहीं है। हालांकि निरीक्षण समिति जबग दौरा करे और तथ्यों को अभिलेखित करे।

एसी:03:27	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद**

3.27.1 कुलपति ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2010 के शैक्षणिक परिषद की मीटिंग के कैलेंडर को 15 नवंबर तक सभी सदस्यों को भेजा जाएगा ताकि वे उक्त तिथियों को अपनी कार्य डायरी में अंकित कर सकें।

3.27.2 अन्य कोई मुद्दे न होने की वजह से अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मीटिंग समाप्त कर दी गई।

हस्ताक्षर/-

(पीवी रवि)
कार्यवाहक कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी
सचिव, शैक्षणिक परिषद